



उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001

ईमेल

Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135-2669415, फ़ैक्स : 2669384

पत्राक : 2467

/6-8/2022-23/से.अधि. दिनांक :

05 अगस्त, 20212.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 648/18(1)/2022-06(09)2.021, दिनांक 26 जुलाई, 2022(छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 158/अ0पि0व0आ0/शि0आ0-27, दिनांक 30 जून, 2022 व शासनादेश संख्या 310/17-2/16-2, दिनांक 26 फरवरी, 2016 की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया गया है कि मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता मो0 आशिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण विभाग अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26-10-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 03 वर्ष अंकित किये जाने के निर्देश हैं।

जैसा कि आप विज्ञ ही हैं कि वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/आवेदकों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड प्रमाण पत्र के प्रारूप में वैधता अवधि 3 वर्ष अंकित किये जाने के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/आवेदकों को 3 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी शासन द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें वैधता अवधि अंकित नहीं है।

शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26 जुलाई, 2022 के साथ प्राप्त समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी, 2016 (जो समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है)में उल्लिखित निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी।

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नोटरीयुक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में

उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि उसकी आय कितनी है।

(2) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।

(3) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरुद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी यदि हों, के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या 648/18(1)2022-06(9) दिनांक 26 जुलाई, 2022 व पत्र के साथ संलग्न प्राप्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों/ तहसीलदारान को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

ह./-

(चन्द्रेश कुमार)

आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव/निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, (आई.टी.डी.ए.) देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र शासनादेशानुसार 03 वर्ष के लिए निर्गत किये जाने व आवेदकों से शासनादेशानुसार शपथ पत्र लिए जाने के संबंध में अपणि सरकार पोर्टल में आवश्यक संशोधन/प्राविधान कराने का कष्ट करें।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग अनुभाग-1, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
4. सचिव, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. गार्ड फाईल/विभागीय वेबसाईट।

ह./-

आयुक्त एवं सचिव

राजस्व परिषद।



Email

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001
Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135-2669415, फैक्स : 2669384

पत्रांक : 2467/6-8/2022-23/से.अधि. दिनांक : 05 अगस्त, 2021.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 648/18(1)/2022-06(09)2.021 दिनांक 26 जुलाई, 2022(छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 158/अ0पि0व0आ0/शि0आ0-27, दिनांक 30 जून 2022 व शासनादेश संख्या 310/17-2/16-2, दिनांक 26 फरवरी, 2016 की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया गया है कि मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता सी0 आशिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण विभाग अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26-10-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 03 वर्ष अंकित किये जाने के निर्देश हैं।

जैसा कि आप विज्ञ ही हैं कि वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/आवेदकों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड प्रमाण पत्र के प्रारूप में वैधता अवधि 3 वर्ष अंकित किये जाने के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/आवेदकों को 3 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी शासन द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें वैधता अवधि अंकित नहीं है।

शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26 जुलाई, 2022 के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी, 2016 (जो समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है)में उल्लिखित निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी।

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदनकर्ता गैर न्यायिक स्थाप पत्र (नोटरीयुक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता कीमीलेवर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में


उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि उसकी आय कितनी है।

(2) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के कीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।

(3) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरुद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी यदि हों, के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।


अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या 648/18(1)2022-06(9) दिनांक 26 जुलाई, 2022 व पत्र के साथ संलग्न प्राप्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों/ तहसीलदारान को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव/निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, (आई.टी.डी.ए.) देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र शासनादेशानुसार 03 वर्ष के लिए निर्गत किये जाने व आवेदकों से शासनादेशानुसार शपथ पत्र लिए जाने के संबंध में अपणि सरकार पोर्टल में आवश्यक संशोधन/प्राविधान कराने का कष्ट करें।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग अनुभाग-1, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
4. सचिव, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. गार्ड फाईल/विभागीय वेबसाईट।


आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद।

प्रेषक,

डॉ० आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व विभाग
27/7/22

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 26 जुलाई, 2022

विषय-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित न किये जाने के संबंध में।

विषय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून के पत्र संख्या-158, दिनांक 30 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० आयोग के माध्यम से शिकायतकर्ता मो० आशिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समाज कल्याण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-310, दिनांक 26.10.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 03 वर्ष अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु न हो पाने के कारण शिकायतकर्ता मो० आशिक, निवासी शिमला वाईपास मेहुँवाला माफी, देहरादून द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः मा० आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि 03 वर्ष आज भी अंकित नहीं की जा रही है, जो कि मा० आयोग के आदेश संख्या-241, दिनांक 21.08.2021 की अवमानना है।

अतः इस संबंध में सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र संख्या-158, दिनांक 30 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समाज कल्याण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-310, दिनांक 26.02.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि 03 वर्ष अनिवार्य रूप से करते हुए कृत कार्यवाही से मा० उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,

Handwritten signature

(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)

अपर सचिव

संख्या- (1) / XVIII(1)/2021-06(9)/2021 एवं तददिनांकित।

- प्रतिलिपि-
1. सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 30 जून, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
 2. मो० आशिक, निवासी शिमला वाईपास मेहुँवाला माफी, नया नगर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)

अपर सचिव।



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून

(उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 के अधीन गठित एक संवैधानिक निकाय)

R-6487/80/22

5/5

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्र, शहीद भगत सिंह कॉलोनी,
निकट एम.डी.डी.ए. कॉलोनी, डालनवाला, देहरादून
Email-obcuttarakhand@gmail.com
0135-2781575

पत्रांक:- 158/अ0पि0व0आ0/शि0आ0-27/2021-22

दिनांक 30 जून, 2022

सेवा में,

सचिव
राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयोग के आदेश सं0 241/अ0पि0व0आ0/शि0आ0-27/2021-22 दिनांक 21 अगस्त 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता मो0 आशिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन को समाज कल्याण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 310 दिनांक 26.02.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि तीन वर्ष अंकित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। शिकायतकर्ता मो0 आशिक, निवासी शिमला बाईपास रोड, मेहूवाला माफी, नया नगर देहरादून द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः मा0 आयोग को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि तीन वर्ष आज भी अंकित नहीं की जा रही है, जो कि मा0 आयोग के आदेश सं0 241 दिनांक 21.08.2021 की अवमानना है।

431

18 सं0 (5)

7-2022

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

सचिव (प्रशासन)
राजस्व विभाग
उत्तराखण्ड शासन

इस संबंध में मा0 आयोग द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 आयोग के आदेश सं0 241/अ0पि0व0आ0/शि0आ0-27/2021-22 दिनांक 21 अगस्त 2021 में निर्देशानुसार समाज कल्याण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 310 दिनांक 26.02.2016 के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जाने अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि तीन वर्ष का अनिवार्य रूप से अंकन करवाना शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यावाही से मा0 आयोग एवं शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जायें। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अन्तर्गत मा0 आयोग के निर्देशों/आदेशों की अवहेलना करना भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 व 180 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

संलग्नक:- यथोपरि।

517

S-CR-1

hand

507
[Signature]
[Signature]
8-7-2022
S.D.

भवदीय
[Signature]
30/06/22
सचिव

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

7/2022 पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : मो0 आशिक, निवासी शिमला बाईपास रोड, मेहूवाला माफी, नया नगर देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

सेवा में,

माननीया अध्यक्ष महोदया,

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

उत्तराखण्ड।

सचिव

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

उत्तराखण्ड, देहरादून

4/5

उत्तराखण्ड का राज्य का आदेश
दिनांक 26-04-22
पत्र क्रमांक 46
कार्यकर्ता का नाम

विषय:- माननीय आयोग के आदेश की अवमानना के सम्बन्ध में शिकायती पत्र।

महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मैंने दिनांक 27.01.2021 को माननीय आयोग में एक शिकायत दायर की थी। जिसमें मैंने मा0 आयोग से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अंकित किये जाने का अनुरोध किया था। इसी क्रम में माननीय आयोग ने दिनांक 21 अगस्त 2021 को अपने आदेश संख्या 241 दिनांक 21 अगस्त 2021 (छायाप्रति सलंगन) में सचिव राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अंकित करने के आदेश दिये थे। लेकिन माननीय आयोग के आदेश के 6 माह से अधिक समय के बाद भी राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा **OBC** के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अंकित नहीं की जा रही है। जबकि सुनवाई में राजस्व सचिव द्वारा मा0 आयोग को अवगत कराया गया था कि उक्त प्रकरण का निस्तारण दो दिन के भीतर कर दिया जायेगा। परन्तु अभी तक भी माननीय आयोग के उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया। जो कि माननीय आयोग के आदेश की अवमानना है।

अतः महोदया, आप उक्त विषय में शीघ्र ही आवश्यक कार्यावाही कर माननीय आयोग के उक्त आदेश का पालन कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

सलंगन:- उक्त आदेश की छायाप्रति।

दिनांक:- 26 अप्रैल 2022

शिकायतकर्ता



मा0 आशिक

मेहुँवाला माफी, देहरादून।

मा0 नं0- 8755704497

प्रेषक,
डा० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 26 फरवरी, 2016

विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे प्रमाण-पत्रों की वैधता अवधि के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-590 / XVII-2 / 12-05(OBC) / 2010 दिनांक 30 मई, 2012 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष मान्य होगी, व्यवस्था की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाये जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी, की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (i) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (नोटरी युक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि अब उसकी आय कितनी है।
- (ii) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक आय होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।
- (iii) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरुद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी यदि हों, के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

15

~~15~~
2011

(2)

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
B

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 310 / XVII-2 / 16-02(OBC) / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. समस्त/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

012

014